International Journal of Applied Research 2016; 2(1): 823-824

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2016; 2(1): 823-824
www.allresearchjournal.com
Received: 26-11-2015
Accepted: 29-12-2015

डॉ० नीतु गौरव
शिक्षिका, एस.एम. उच्च विद्यालय, बसैठ, मधुबनी, बिहार, भारत

Corresponding Author:
डॉ० नीतु गौरव
शिक्षिका, एस.एम. उच्च विद्यालय, बसैठ, मधुबनी, बिहार, भारत

लोकसेवकों में भ्रष्टाचार की समस्या

डॉ० नीतु गौरव

सारांश:
लोकसेवकों के माध्यम से ही देश की सारी–व्यवस्था क्रियान्वित होती है। अगर लोकसेवकों में ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा नहीं हो तो देश की समूची व्यवस्था चौपट हो जाएगी। दरअसल आज की स्थिति अत्यंत विकृत है, जहाँ छोटे से ऑफिस के कलर्क से लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के कार्यालय में काम करने वाले बाबुओं में भ्रष्टाचार व्याप्त है। अनेक स्तरों पर इसके निवारण का प्रयत्न भी किया जा रहा है, पर अब तक की जो स्थिति है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि लोकसेवक पूरी तरह भ्रष्टाचार के जाल में लिपटा हुआ है, जिसके कारण देश की तमाम व्यवस्था चौपट है।

प्रस्तावना:
लोकसेवकों में भ्रष्टाचार हमेशा एक या दूसरे रूप में विद्यमान रहा है, यद्यपि इसका स्वरूप, आयाम, प्रकार और छवि समय–समय और स्थान–स्थान पर बदलते रहे हैं। एक समय था, जब रिश्वत गलत कार्यों को कराने के लिए दी जाती थी, लेकिन अब सही कार्य को सही समय पर कराने के लिए दी जाती है।

सार्वजनिक सेवाओं में कौन से कार्यों को 'भ्रष्ट' कहा गया है? यद्यपि 'भ्रष्टाचार' शब्द के व्यापक अर्थ है, किंतु कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत लोकसेवकों के निम्नलिखित व्यवहार भ्रष्ट कहे गए हैं : (1) अधिकारिक हैसियत से किए गए कार्य के लिए पुरस्कार स्वरूप भेंट स्वीकार करना, (2) अवैध रूप से कोई भी वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करना, (3) सार्वजनिक संपत्ति का धोखाधड़ी से दुरुपयोग करना, (4) आय के ज्ञात संसाधनों से अधिक अनुपात में संपत्ति या आर्थिक संसाधन जुटाना, (5) अधिकारिक पद का दुरुपयोग, (6) सरकारी व्यवहार से संबंधित किसी व्यक्ति से कीमती वस्तु खरीदने के लिए धन उधार लेना यह मानते हुए कि उधार लिया धन वापस नहीं किया जाना है, (7) उच्च स्थिति या पद पर होने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसे लोगों से भेंट/उपहार स्वीकार करना, जिनके साथ उनके पद के नाते संबंध हों, (8) जानबूझ कर नियमों की अनदेखी करते हुए देयकों/करों आदि के भुगतान करने से बचने में नागरिकों की मदद करना, (9) किसी बहाने से किसी कर्त्तव्य को करने से इंकार करना, जिससे दूसरों का फायदा होता हो।[1]

केंद्र सरकार में कम से कम चार ऐसे मंत्रालय हैं, जो धन अर्जन के लिए सोने की खान माने जाते हैं। ये हैं : रक्षा, पेट्रोलियम, ऊर्जा और संचार मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय प्रतिवर्ष रक्षा–संबंधी वस्तुओं की खरीद पर लगभग 30,000 और 40,000 करोड़ रुपये के बीच खर्च करता है और यह कहा जाता है कि अस्त्र–शस्त्र, गोला–बारूद, अतिरिक्त कल पुर्जे और मिराज विमानों की मरम्मत व खरीद के लिए 15 से 40 प्रतिशत दलाली आम चलन है। पेट्रोलियम मंत्रालय तेल और प्राकृतिक गैस के आयात पर प्रतिवर्ष 40,000 करोड़ रुपये खर्च करता है। 1998–99 में इसने 24,000 करोड़ रुपये, राशि 64,000 करोड़ रुपये देगी। आयातित तेल के बैरल किसी न किसी के लिए दलाली के रूप में आय का अच्छा साधन सिद्ध होते हैं। तेल की खुदाई के अधिकार देने में, पेट्रोल पंपों को खोलने में, पाइप लाइनों को बिछाने के लिए रिश्वत दिये जाने में भी बहुत सा धन लगता है। ऊर्जा मंत्रालय लगभग 4,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च करता है जो अपने अधिकारियों को काला धन कमाने के अच्छे अवसर प्रदान करता है। संचार मंत्रालय का बजट भी प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपये का होता है और इस मंत्रालय में भी दलाली आम है।[2]

चार अन्य विभाग जहां भ्रष्टाचार अतिव्याप्त हैं, वे हैं– पी.डब्ल्यू.डी., पुलिस, चुंगी और राजस्व। पी. डब्ल्यू.डी. को बजट और योजनाओं के अंतर्गत भवनों के निर्माण, सड़कों के रख–रखाव, नालियों के निर्माण, बांधों के निर्माण आदि के लिए एक बड़ी धनराशि आवंटित की जाती है। इस विभाग में ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार व्याप्त है, जैसे कार्य स्थल का चुनाव, अनुमानित खर्च का आकलन तैयार किया जाना, धन की स्वीकृति, वस्तुओं की खरीद, निर्माण–कार्य करवाना, बिलों का भुगतान और विवादों का समाधान आदि। यह कहा जाता है कि किसी प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृत

समस्त राशि में से लगभग 70 प्रतिशत कार्य पर खर्च किया जाता है, 20 प्रतिशत ठेकेदार का लाभ और 10 प्रतिशत विभिन्न अफसरों की जेबों में चला जाता है।

पुलिस विभाग को सबसे अधिक भ्रष्ट विभाग कहा जाता है, जहाँ एक कान्स्टेबिल से लेकर उच्च पदस्थ अधिकारी तक रिश्वत लेते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि पुलिस अपराधी और शिकायतकर्ता दोनों से रिश्वत लेती है। पुलिस के अधिकार इतने विस्तृत हैं कि वे ईमानदार व्यक्ति को आरोप लगाकर गिरफ्तार कर सकते हैं और परेशान कर सकते हैं। गरीबों को छोटी–छोटी गलती पर उनकी जेबों से उनका सारा पैसा निकाल लेना, ट्रक–ड्राइवरों से धन लेना, दुकानदारों से हफ्ता वसूल करना आदि भ्रष्टाचार आम बातें हैं।

भ्रष्टाचार की संभावना उन क्षेत्रों में अधिक है जहाँ महत्त्वपूर्ण निर्णय किए जाते हैं, जैसे कर संग्रह का मूल्यांकन, ठेके स्वीकृत करना, बिल पास करना, चौक जारी करना, आपूर्ति को मान्यता देना आदि। अधिकारियों को पूर्व–निर्धारित प्रतिशत दिया जाता है और यह धन राशि उस संस्थान में सभी के हिस्से में आती है। रेल विभाग में बोगियों के आवंटन में, खराब होने वाली चीजों के पार्सल बुक कराने, नष्ट हुई चीजों के दावे पास करने आदि के लिए पैसा देना पड़ता है। कई संस्थानों में तो ठेका देते समय एक निश्चित प्रतिशत धनराशि नियमतः ली जाती है। इसी प्रकार यदि यह धनराशि न दी जाये तो बिल के पास होने व चौक आदि प्राप्ति में देरी होना इसका परिणाम होता है। अक्सर बेईमान ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता जो निम्न कोटि की चीजें देना चाहते हैं या थोड़े कार्य की स्वीकृति प्राप्त करना चाहते हैं, अपना काम करवाने के लिए अपनी गलत कमाई में से काफी खर्च कर देते हैं। कर–वंचना, खराब निर्माण, थोड़ी मात्रा में माल आपूर्ति करना, सरकारी वाहनों की मरम्मत आदि के लिए अत्यंत ऊँची कीमत वसूल करना भ्रष्टाचार के अन्य उदाहरण हैं।

भ्रष्टाचार न केवल उच्च स्तर पर व्याप्त है, बल्कि निम्न स्तर तक भी फैला हुआ है। सहायक एवं कनिष्ठ अभियंता, टेलीफोन, राज्य विद्युत परिषद् और जल संसाधन विभाग के मध्यम और निम्न श्रेणी के अधिकारी, राजस्व व चुंगी विभाग के निरीक्षक, सचिवालय लिपिक, और रेलवे के कनिष्ठ कर्मचारी वर्ग छोटे–बड़े पक्षपात के लिए रिश्वत स्वीकार करते हैं। कई संस्थानों में कनिष्ठ अधिकारियों की दलाली की निश्चित राशि बंधी है। उदाहरणार्थ, इन्जीनियरिंग विभाग में एक जूनियर इंजीनियर सौदे की पूरी रकम का 5 प्रतिशत, सहायक अभियंता 3 प्रतिशत और अधिशाषी अभियंता 2 प्रतिशत मांगता है। आयकर विभाग में दर भिन्न हैं : निरीक्षक 10,000 रुपये, तथा कमिश्नर के 5 लाभ रुपये या अधिक बंधे हैं जो कर की राशि पर निर्भर करता है। पुलिस विभाग में दर भिन्न हैं : कांस्टेबिल 100 रुपये से 2,000 रुपये तक, उप–निरीक्षक और निरीक्षक के 2,000 रुपये से 10,000 रुपये तक। सरकारी कार्यालयों में किसी कार्य की अनुमति प्रदान किए जाने के बाद भी जब तक संपूर्ण स्वीकृत धनराशि का 1 प्रतिशत या 2 प्रतिशत रिश्वत न दिया जाये, तब तक संबंधित लिपिक स्वीकृति–पत्र तक टाइप नहीं करेगा या डाक में नहीं डालेगा। निम्नतम स्तर पर चपरासी भी अपने साहब से मिलने देने के लिए आगन्तुक से 10 रुपये या 20 रुपये झाड़ लेते हैं। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है कि एक प्रधानमंत्री को भी एक सार्वजनिक सभा में कहना पड़ा कि सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए आवंटित धनराशि 100 रुपये में से जनता के लाभ में केवल 20 रुपये ही लगते हैं। [3] इसमें आश्चर्य नहीं कि जनता की उदासीनता के कारण ही देश में भ्रष्टाचार इतनी विकट स्थिति में पहुँचा है।

भेंट देना शहरों में भ्रष्टाचार का एक प्रमुख रूप है। एक ठेकेदार किसी अभियंता को या लेखा अधिकारी को अपने बिल पास कराने के लिए सूखे मेवे के डिब्बों और मिठाइयाँ और चांदी के गिलास उपहार में देता है। डाक्टर और यहाँ तक कि पुलिस अधिकारी भी अपनी इच्छा के स्थान पर स्थानांतरण के लिए मंत्री को उपहार देता है। वह व्यापारी जो आयकर के आंकलन को अपने पक्ष में कराने में सफल रहा है एक फ्रिज, या कार या कोई कीमती बिजली का सामान या सोने की चेन बेटे के जन्मदिन या बेटी के विवाह में देता है। इन सबमें उपहार देने का एक स्वरूप और साथ ही कुछ 'सांस्कृतिक मूल्य' परिलक्षित होते हैं।

'गतिवान धन' भ्रष्टाचार के तरीकों में सामान्य है, विशेष रूप से अनुदान व स्वीकृति के मामलों में। यह प्रचलन सार्वजनिक कार्यालयों में प्रशासनिक विलंब का परिणाम है। एक बार एक फाइल किसी कार्यालय में आ जाये, इस पर निर्णय प्राप्त करना टेढ़ी खीर हो जाता है। विलंब से बचने के लिए 'गतिवान धन' जैसे भ्रष्ट तरीके प्रयोग में लाए जाते हैं। कभी–कभी किसी फाइल पर निर्देश पारित होने बाद भी इसकी सूचना प्राप्तकर्ता को देर से जाती है, जब तक कि वह अधीनस्थ अधिकारियों को उपयुक्त धन नहीं देता।

रिश्वत और दलाली की दर प्रतिवर्ष ऊँची ही होती जा रही है। वैकल्पिक आर्थिक नीतियों के लिए गठित प्रारंभिक समिति ने, जो वामपंथी अर्थशास्त्रियों का एक समूह है, दलाली में कुछ अनुसंधान किए हैं। इसका अनुमान है कि दलाली की राशि 1980–81 में 3,036 करोड़ रुपये से 1990–91 में 19,414 करोड़ रुपये की आश्चर्यचकित करने वाली ऊँचाई तक पहुँच गई, अर्थात् एक ही दशक में राशि में छह गुनी वृद्धि हो गई। [4]

भारत में 1947 के भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्टाचार के पंजीकृत मामलों की संख्या 1981 और 1987 के बीच 300 से 500 तक थी, लेकिन 1988 के अधिनियम के लागू होने के बाद अब यह संख्या 1,700 से 2,100 प्रतिवर्ष तक है। जब 1988 में केवल 1,295 भ्रष्टाचार के मामले पंजीकृत किए गए, 1994 में 2,104 और 1998 में 2,817 मामले पंजीकृत किए गए थे। पंजीकृत किए गए मामलों में केवल 70 प्रतिशत से 75 प्रतिशत मामलों में ही व्यक्तियों को आरोप–पत्र जारी हुए। उदाहरण के तौर पर, 1998 में 2,817 नये मामले दर्ज किए गए, जबकि 4,644 मामले पहले से ही न्यायालयों में लंबित पड़े थे। सर्वाधिक संख्या में मामले 1998 में महाराष्ट्र में 16.2 प्रतिशत और उसके बाद पंजाब में 11 प्रतिशत, राजस्थान में 9.6 प्रतिशत, उड़ीसा में 9.4 प्रतिशत रिपोर्ट किये गये थे। 1998 में 10,163 लोगों पर मुकदमे चले जिनमें से केवल 23.6 प्रतिशत ही अभियुक्त पाए गए। [5]

निष्कर्षः

हमारे देश के लोकसेवकों में भ्रष्टाचार इस तरह व्याप्त हो चुका है कि उससे मुक्ति मिलना मुश्किल है। आजकल बिना रिश्वत दिये कोई भी काम नहीं हो पाता है, चाहे वह काम बैद्य ही क्यों न हो। घूसखोरी एक तरह की संस्कृति बन गयी है, जिसमें हमारा पूरा देश संलिप्त है। छोटे से बड़े स्तरों पर यह संस्कृति व्याप्त है। लेकिन इन लोकसेवकों में निहित भ्रष्टाचार को मिटाए बिना सुसंस्कृत और सभ्य व्यवस्था का निर्माण संभव नहीं है।

संदर्भ–ग्रंथ–सूचीः

1. विज्ञान कसेगा भ्रष्टाचार पर शिकंजा, राजस्थान पत्रिका, 9 दिसम्बर 2012, पेज–3
2. विनीत नारायण, अकेला लोकपाल ही काफी नहीं, राजस्थान पत्रिका, 1, मई 2011, पेज–7
3. कुमार, प्रकाश, राय केबी, 2008, पृ. 35, सूचना का अधिकार, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, पेज–14
4. मधुकिश्वर, लोकपाल की राह में चुनौतियां, दैनिक भास्कर, 23 अगस्त, 2011, पेज–11
5. मेहता, आलोक, 2003, पृ. 60, पत्राकारिता की लक्ष्मणरेखा, सामयिक प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली, पेज–6